न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(अलवर)

पीठासीन अधिकारी :— मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)

दावा सख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
83/2023(341/2008)	02.03.2023	27.07.2023

उनवान

1. बलवन्त पुत्र श्री सरदारा जाति मीणा निवारी जोनायचा खूर्द तह0 नीमराना।
2. मु0 फूली बेवा सरदारा जाति मीणा निवासरा जोनायचा खूर्द तह0 नीमराना

:—वादीगण।

बनाम

1. राज0 सरकार जरीये जिला कलक्टर महादेय अलवर।
2. लैण्ड होल्डर तहसीलदार नीमराना।

:— असल प्रतिवादीगण।

3. बलबीर पुत्र सरदारा जाति मीणा निवासी जोनायचा खूर्द तह0 नीमराना।
4. मातादीन पुत्र रणमल जाति मीणा निवासी जोनायचा खूर्द तह0 नीमराना।
5. मु0 सुरती बेवा सेडाराम जाति मीणा निवासी जोनायचा खूर्द तह0 नीमराना।
6. सुभाष पुज सेडाराम जाति मीणा निवासी जोनायचा खूर्द तह0 नीमराना।
7. हंसराज पुत्र सेडाराम जाति मीणा निवासी जोनायचा खूर्द तह0 नीमराना।
8. चन्दन पुत्र रामावतार जाति मीणा निवासी जोनायचा खूर्द तह0 नीमराना।

:— तरतीबी प्रतिवादीगण।

दावा इस्तकरार हक व दुरूसति इन्द्राजात।

उपस्थितीः— 1 श्री सुनिल दत्त यादव एड0 वादीगण की ओर से।
2 श्री देवानन्द एड0 प्रतिवादी 8 की ओर से।

—::निर्णय::—

पत्रावली पेश हुई। दावा के सूक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से है—

1. वादीगण ने दावा पेश किया कि खसरा नं. 46/4—11, 48/5—00, 50/2—13 वाके ग्राम गुगलकोटा जिसके हाल खसरा नं. 96/0.01, 97/0.66, 106/0.33, 107/0.25, 109/0.01, 110/0.05, 111/0.11, 112/0.42, 113/0.32, 113/2244/0.25, 115/0.26, 116/0.12, 117/0.43, 95/0.03 वाके ग्राम गुगलकोटा कायम हुये है। आराजी मुतनाजा हम वादीगण व तर0 प्रतिवादीगण की कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी है जिसमे वादी संख्या 1 का 1/16 भाग व वादी संख्या 2 कुल आराजी में 3/16 भाग था जिसमें से वादनी ने खसरा नं. 97, 106, 107, 110, 111, 112, 113, 113/2244, 115, 116, 117 में अपना 3/16 अर्थात समस्त हक का बेचान तर0 संख्या 8 को जरीये बयनामा कर दिया व शेष आराजी में वादनी संख्या 2 का 3/16 भाग है व 1/2 भाग तर0प्रति0 4लगा. 7का है व 1/4 भाग तर0प्रति0 संख्या 3 का है व इसी प्रकार पक्षकारान मौके पर काबिज होकर मौक पर काबिज है। आराजी मुतनाजा में पूर्व में 1/2 भाग के खातेदार काश्तकार वादी संख्या 1 व तर0प्रति0 संख्या 3 थे जो कि आराजी मुतनाजा में वादी संख्या 1 ने अपने 1/4 भाग मेंसे 3/16 भाग का बेचान बटूराम पुत्र बीरबल जाति मीणा निवासी कुवाडा को कर दिया

व बदूराम पुत्र बीरबल ने अपने 3/16 भाग का बेचान जगदीश पुत्र मोरीसहाय जाति मीणा साकिन खण्डोखा को कर दिया व उक्त जगदीश ने अपना कुल 3/16 भाग का बेचान वादी संख्या 2 फूली को कर दिया अब उक्त वादनी संख्या 2 ने अपना 3/16 भाग खसरा नं. 95, 96, 109 को छोडकर शेष आराजी में कुल हक तर0प्रति0 संख्या 8 को बेचान कर दिया। जिनका विधिवत रूप से इंतकाल दर्ज व मन्जूर हो चुका है हाल बन्दोबस्त में साबिक खसरा नं. 46, 48, 50 के उक्तानुसार कायम कर सेडाराम, मातदीन पिता रणमल संभाग 1/2 जो कि सेडाराम अब फौत हो चुका है जिसके जायज वारिसान तर0प्रति0 सं. 5लगा. 7 है व वादी व तर0प्रति0 सं. 3 को केवल 1/16 भाग का खातेदार दर्ज कर दिया व वादनी संख्या 2 का कोई हिस्सा ही दर्ज नही किया जो खिलाफ कानून खिलाफ मौका है जो बेजा इन्द्राजात हकूक वादीगण बातिल व बेअसर करार दिया जाकर आराजी मुतनाजा में 1/4 भाग का खातेदार काश्तकार तर0प्रति0 सं. 3 को व 1/16 भाग का खातेदार वादी सं. 1 को व खसरा नं. 95, 96, 109 में 3/16 की वादीनी सं. 2 को व शेष कुल आराजी में 3/16 का खातेदार तर0प्रति0 सं. 8 को व 1/2 भाग के खातेदार तर0प्रति0 सं. 4 लगा. 7 को दर्ज किया जाकर इसी प्रकार की दूरस्ती राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की जावें।

2. उक्त वाद पेश होने पर बाद आवश्यक कार्यवाही दिनांक 29.08.2011 को डिक्री किया गया। इस डिक्री के विरूद्ध वादीगण ने न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी अलवर में अपील दायर की जो इस बिन्दु पर की गयी की वाद दायर करते समय सहवन से तर0प्रति0 सं. 8 का हिस्सा 3/16 दर्ज कर दिया गया व वादी बलवंत का 1/16 अंकित कर दिया गया जबकि तर0प्रति0 सं. 8 का हिस्सा 1/16 व वादी बलवंत का 1/12 हिस्सा दर्ज होना चाहिए था। भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी अलवर ने दिनांक 08.02.2023 को अपील स्वीकार करते हुये प्रकरण को इस निर्देश के साथ रिमान्ड किया कि तर0प्रति0 सं. 8 की सहमती के अनुसार संशोधित पर्चा डिक्री जारी करें। पत्रावली प्रस्तुत होने पर पुनः दर्ज रजिस्टर कि जाकर पक्षकारान को सुना गया। तर0प्रति0 सं. 8 की सहमती के अनुसार वाद वादीगण निम्न प्रकार डिक्री किया जाकर आदेश दिये जात है कि:–

अतः आदेश है किः–

वाद वादीगण बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर हाल खसरा नं. 96/0.01, 97/0.66, 106/0.33, 107/0.25, 109/0.01, 110/0.05, 111/0.11, 112/0.42, 113/0.32, 113/2244/0.25, 115/0.26, 116/0.12, 117/0.43, 95/0.03 वाके ग्राम गुगलकोटा तह0 नीमराना के हाल राजस्व रिकॉर्ड में हुये इन्द्राजात को कलमजन किया जाकर उक्त कुल आराजी में वादी सं. 1 को 1/12 भाग का खातेदार काश्तकार, वादनी सं. 2 को आ0ख0न0 95/0.03, 96/0.01 व 109/0.01 ने 3/16 भाग का व शेष आराजी खसरा न0 97/0.66, 106/0.33, 107/0.25, 110/0.05, 111/0.18, 112/0.42, 113/0.32, 113/2244/0.25, 115/0.26, 116/0.12, 117/0.43 में तर0प्रति0 संख्या 8 चन्दन को 1/6 भाग का व कुल आराजी मुतनाजा के 1/4 भाग का तर0प्रति0 सं. 3 बलबीर को व कुल आराजी मुतनाजा के 1/4 भाग का तर0प्रति0 सं. 4 मातादीन को एवं कुल आराजी मुतनाजा के शेष 1/4 भाग का तर0प्रति0 स0 5लगा. 7 कमशः मु0 सरती, सुभाष, हंसराज को संभाग में खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुरूप हाल राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल सुम्मार होकर नम्बर से कम हो। खर्चा मुकदमा फरीकेन अपना–अपना वहन करेगें।

यह निर्णय आज दिनांक 27.07.2023 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय मे घोषित किया गया।

27/7/2023

मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, नीमराना (अलवर)
पदेन सहायक कलक्टर, नीमराना

षिकारी
(लवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(अलवर)

पीठासीन अधिकारी :- मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)

दावा संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
83 / 2023(341 / 2008)	02.03.2023	27.07.2023

उनवान

1. बलवन्त पुत्र श्री सरदारा जाति मीणा निवासी जोनायचा खुर्द तह0 नीमराना।
2. मु0 फूली बेवा सरदारा जाति मीणा निवासस जोनायचा खुर्द तह0 नीमराना

:-वादीगण।

बनाम

1. राज0 सरकार जरीये जिला कलक्टर महोदय अलवर।
2. लैण्ड होल्डर तहसीलदार नीमराना।

:- असल प्रतिवादीगण।

3. बलबीर पुत्र सरदारा जाति मीणा निवासी जोनायचा खुर्द तह0 नीमराना।
4. मातादीन पुत्र रणमल जाति मीणा निवासी जोनायचा खुर्द तह0 नीमराना।
5. मु0 सुरती बेवा सेडाराम जाति मीणा निवासी जोनायचा खुर्द तह0 नीमराना।
6. सुभाष पुज सेडाराम जाति मीणा निवासी जोनायचा खुर्द तह0 नीमराना।
7. हंसराज पुत्र सेडाराम जाति मीणा निवासी जोनायचा खुर्द तह0 नीमराना।
8. चन्दन पुत्र रामावतार जाति मीणा निवासी जोनायचा खुर्द तह0 नीमराना।

:- तरतीबी प्रतिवादीगण।

दावा इस्तकरार हक व दुरूस्ति इन्द्राजात।

उपस्थिती:- 1 श्री सुनिल दत्त यादव एड0 वादीगण की ओर से।
2 श्री देवानन्द एड0 प्रतिवादी 8 की ओर से।

—::पर्चा डिक्री::—

वाद वादीगण बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर हाल खसरा नं. 96 / 0.01, 97 / 0.66, 106 / 0.33, 107 / 0.25, 109 / 0.01, 110 / 0.05, 111 / 0.11, 112 / 0.42, 113 / 0.32, 113 / 2244 / 0.25, 115 / 0.26, 116 / 0.12, 117 / 0.43, 95 / 0.03 वाके ग्राम गुगलकोटा तह0 नीमराना के हाल राजस्व रिकॉर्ड में हुये इन्द्राजात को कलमजन किया जाकर उक्त कुल आराजी में वादी सं. 1 को 1 / 12 भाग का खातेदार काश्तकार, वादनी सं. 2 को आ0ख0न0 95 / 0.03, 96 / 0.01 व 109 / 0.01 में 3 / 16 भाग का व शेष आराजी खसरा न0 97 / 0.66, 106 / 0.33, 107 / 0.25, 110 / 0.05, 111 / 0.18, 112 / 0.42, 113 / 0.32, 113 / 2244 / 0.25, 115 / 0.26, 116 / 0.12, 117 / 0.43 में तर0प्रति0 संख्या 8 चन्दन को 1 / 6 भाग का व कुल आराजी मुतनाजा के 1 / 4 भाग का तर0प्रति0 सं. 3 बलबीर को व कुल आराजी मुतनाजा के 1 / 4 भाग का तर0प्रति0 सं. 4 मातादीन को एवं कुल आराजी मुतनाजा के शेष 1 / 4 भाग का तर0प्रति0 स0 5लगा. 7 क्रमशः मु0 सरती, सुभाष, हंसराज को संभाग में खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुरूप हाल राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे

27/7/2023

मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,नीमराना

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (अलवर)